तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
17/01/22	पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं से बहस सुनी गई। आदेश अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:11:57 IST
Reason: SelfAttested

(3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

मु.न. 60 / 2020

प्रार्थीगण

1. रम्भा पत्नी अना
2. जोधा पुत्र अना
3. नाथा पुत्र अना
4. सवा पुत्र अना
5. नानजी पुत्र अना
6. काना पुत्र हटा
7. चेला पुत्र हटा

जाति कलबी निवासी सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. तगाराम पुत्र बीजला
2. राजाराम पुत्र बीजला
3. वीरो पत्नी बीजला
4. लाभू पुत्र बगता
5. भगवानाराम पुत्र केहरा
6. नरसीराम पुत्र केहरा
7. प्रकाश पुत्र केहरा
8. चतराराम पुत्र केहरा
9. जोगाराम पुत्र सरदारा
10. सावलाराम पुत्र सरदारा
11. काछबा पुत्र हरजी
    जाति रबारी निवासी सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
12. शाखा प्रबन्धक बीसीसीबी शाखा गुड़ामालानी
13. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. शाखा गुड़ामालानी
14. तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी (संशोधन) अधिनियम 2010

–: निर्णय :–

दिनांक :– 17/1/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251A रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम सिन्धासवा हरनियान पटवार क्षेत्र सिन्धासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में खेत खसरा नम्बर 48 रकबा 31 [illegible] किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है इसमें आने जाने हेतु को[illegible] उनकी [illegible] कटान मार्ग नहीं है, सरकारी कटान मार्ग तक पहुंचने के लिए [illegible] विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 49 रकबा 60–03 बीघा [illegible] जा सकते हैं तथा इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं। अतः हम[illegible] खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 48 से कटान मार्ग तक आवागमन हेतु विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा सिंधासवा हरनियान के खसरा नम्बर 49 में से संलग्न ''परिशिष्ठ–अ'' अनुसार राजस्व रेकर्ड में कटान मार्ग अपलिखित करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई लिखित जवाब आपत्ति पेश नहीं कर सीधी बहस की गई। विप्रार्थी संख्या 14 भूमि धारक तहसीलदार गुड़ामालानी ने अपनी रिर्पोट क्रमांक 344 दिनांक 18.02.2021 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 48 से राजकीय कटान मार्ग खसरा संख्या 42 के बीच खसरा नम्बर 49 रकबा 50–03 बीघा का आया हुआ है। इस प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी के कटान मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 60 गट्ठा व चौड़ाई 2 गट्ठा है जिसका कुल रकबा 0–06 बीघा है। प्रस्तावित रास्ते पर किसी प्रकार का कब्जा अथवा पक्का निर्माण नहीं है।

अतः प्रार्थीगण के आवेदन पर गंभीरता व गहनता से मनन करते हुए तथा प्रार्थीगण की अत्याधिक आवश्यकता को देखते हुए तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौका रिर्पोट क्रमांक 344 दिनांक 18.02.2021 के संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए ''हरा रंग मार्क'' अनुसार कटान मार्ग से प्रार्थीगण की आराजी खेत खसरा संख्या 48 ग्राम प्रेमनगर में आने–जाने हेतु विप्रार्थीगण खातेदारी भूमि ग्राम प्रेमनगर के खेत खसरा नम्बर 49 में से लम्बाई 60 गट्ठा चौडाई 2 गट्ठा कुल रकबा 0–06 बीघा रास्ते हेतु बरंग ''हरा'' संलग्न नक्शा अनुसार 'रास्ता' घोषित किए जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिशिष्ट 'अ' मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस को निर्णय का आवश्यक अंग मानते हुए प्रार्थीगण को उपरोक्तानुसार प्रस्तावित 'रास्ता' निम्नलिखित शर्तो के अनुरूप होगा।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ता प्राप्त करने के एवज में कितनी राशि का भुगतान विप्रार्थीगण को किया जाएगा, इस हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) (संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(1) (11)(अ) में स्पष्ट है कि अगर समझौते में क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं है तो जिला स्तरीय कमेटी (DLC) द्वारा निर्धारित दरो की दो गुना राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है। और अगर कोई अन्य पेड, फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो अध्याय 70(2) के अन्तर्गत उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

निर्णयानुसार प्रस्तावित [illegible] होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दि[illegible] को [illegible]लित DLC द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा रा[illegible] द्वारा प्रार्थीगण को अवगत कराई जाएगी। [illegible] उपरांत बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को [illegible]ि' के रूप में दर्ज होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में देय होगी जो DLC द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक को प्रचलित दर की दो गुणा के बराबर होगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:11:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित राशि विप्रार्थी को प्रदान करने के उपरांत ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर राशि लेने से इन्कार करते हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जाएगी। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थी को वितरित करने की कार्यवाही की जाएगी।

नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेख में 'रास्ते' के रूप में दर्ज होगी। प्रार्थीगण को इस प्रकार दर्ज भूमि को 'रास्ते' के रूप में उपयोग के अधिकार के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही होंगे। रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरे में से कम करते हुए राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तो के अधीन ही प्रार्थीगण को नया रास्ता दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार गुडामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/1/22 को खुले न्यायालय मजमेआम में सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:11:57 IST
Reason: SelfAttested